तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
21/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। बहस प्रा० पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।
	2. Dalpat Kumar Vs prahlad Singh 1992 एवं Colgate polmolive (india) pvt Ltd 1999 मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिये इसे निम्न तीन बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है-
	(अ) प्रथम दृष्टया :- ग्राम लालगांव तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख० नं० 293 रकबा 5-10 बीघा यानी 1.3911 hac भूमि वर्तमान में प्रार्थिया की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थिया द्वारा पेश खसरा गिरदावरी संवत 2069-72 के अनुसार कब्जाकाश्त भी प्रार्थिया का है। अतः प्रार्थिया Recorded Khatedar tenant व कब्जाधारी है।
	प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति बापूलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि को संवत 2039 में 1900 रुपये के प्रतिफल पर प्रहलादसिंह को बेचान करना साबित नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश सामान्य कागज पर लिखे बेचान इकरार पर ना तो Khatedar मेहताबबाई के sign है और ना क्रेता प्रहलादसिंह के sign and/thumb impression है। ना बेचान इकरार ~~proper~~ stamped है और ना noterized है। अप्रार्थीगण द्वारा इकरार के गवाहों को भी कोर्ट में पेश नहीं किया है। 30-35 वर्षों के कब्जे का भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।
	में ... प्रथम दृष्टया प्रार्थिया के पक्ष में ... [... DNJ (Revenue) 117]
	(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रार्थिया वादग्रस्त भूमि की recorded Khatedar tenant है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख नम्बर	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

पेश खसरा गिरदावरी से कब्जा होना भी जाहिर है, अप्रार्थीगण द्वारा 35 वर्षों से काबिज होने के सम्बन्ध में कोई भी पर्याप्त documentary evidence or/and oral evidence भी पेश नहीं किया है, कोई भी legal sale agreement भी पेश नहीं किया है। It is well settled legal position है कि सामान्यतः रिकार्डेड खातेदार कृषक के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। कोई विशेष परिस्थितियाँ अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया साबित भी नहीं है, Smt Shabila Begam V/s Laxman & ors. 2022 मामले में माननीय राजस्व मंडल ने यही प्रतिपादित किया है, इसी प्रकार Malkiyat Kaur & ors. V/s Malkiya Kaur & ors. RRT 2016-17 (Supra) 637, 2006 (2) RRT पृष्ठ 1410 उनवान mohanlal & ors. V/s Tikuram & ors. and RRT 2019 (2) पृष्ठ 777, DNJ. 2022 (1) (Revenue) Page 854 तथा RLW 2008 (1) page 447 आदि मामलों में माननीय राजस्व मंडल ने यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "Generally, No Temporary injection can be granted against a recorded Khatedar." । इसी प्रकार 2025 (1) DNJ (Rev.) 117 में माननीय राज० उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि No Khatedari Right (title) can be granted on the basis of a unregistered document."

धारा-35 indian Stamp Act 1899 के अनुसार "Documents without proper stamp shall not be admitted as evidence unless they are [illegible] stamped"

अतः ऐसी स्थिति में [illegible] के पक्ष [illegible] जारी करने से अप्रार्थीगण [illegible] सुविधा [illegible] का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में [illegible] होगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 16:02:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म मे
	(ह) अपूरणीय क्षति :- अपूरणीय क्षति से तात्पर्य ऐसी क्षति या नुकसान से है, जो मौद्रिक मुआवजे से ठीक नहीं की जा सकती हो और ऐसी स्थिति मे प्रार्थी उसे मौद्रिक हानि के अलावा अन्य कोई बेहतर उपाय जैसे temporary injuction से ठीक करना है। हस्तगत प्रकरण मे prima facie case and balance of convenience दोनो प्रार्थीया के पक्ष मे है। यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त पर बलपूर्वक कब्जा कर तार फेंसिंग करते है या लडाई झगडा करते या खुर्द बुर्द करते है तो प्रार्थीया की अपूरणीय क्षति कारित होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रा० पत्र u/s 212 RT r.w. O 39 R 1 & 2 CPC स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद इस आशय कि temorary injuction से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम लालगांव की वादग्रस्त भूमि ख० नं० 293 रकबा 1.3911 hec पर जबरन कब्जा नही करे। प्रार्थीया की कसलकाश्त मे बाधा उत्पन्न नहीं करे। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलंग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner